न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 09 / 2022

इमरान पुत्र दीनू जाति मेव निवासी जैरोली थाना तिजारा जिला अलवर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन महेन्द्रा बोलेरो पंजीकरण संख्या आर.जे.32 जी.ए. 9032 व मुकदमा एफ.आई.आर संख्या 521 / 21 थाना सेवर अन्तर्गत धारा 3,5,8,10 आर.बी.ए.एक्ट।

उपस्थित :–

1. श्री दिलीप कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक 22.02.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन महेन्द्रा बोलेरो पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 जी.ए. 9032 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है तथा वाहन को पुलिस थाना सेवर में दिनांक 07.10.2021 को अवैध रूप से गौवंश को ले जाना दिखाते हुए थाना में बन्द कर दिया है। पुलिस थाना सेवर द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही गलत तरीके से की है। प्रार्थी के वाहन से गौवंश का परिवहन नही किया जा रहा था। प्रार्थी का वाहन थाना सेवर में खुले में खडा हुआ है जो धूप व बरसात से खराब हो रहा है व जंगम हो रहा है तथा प्रार्थी को अजीम आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है, जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन महेन्द्रा बोलेरो आर.जे.32 जी.ए. 9032 को सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की है।

1

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्त वाहन महेन्द्रा बोलेरो पंजीकरण संख्या आर.जे.32 जी.ए. 9032 का रजिस्टर्ड मालिक होने के कारण सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रकरण में थाना सेवर द्वारा उक्त वाहन को अवैध रूप से गौवंश को ले जाना दिखाते हुए बंद किया है जो कि थाने द्वारा समस्त गलत कार्यवाही की गई है। प्रार्थी के वाहन से गौवंश का परिवहन नही किया जा रहा था। उक्त वाहन थाना परिसर में खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क किया है कि जब्त वाहन में 04 गोवंश पाये गये जिनके पैर व गर्दन रस्सियों से बंधी हुई व गायों के शरीर पर चोट के निशान भी थे। उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था, जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जब्त वाहन महेन्द्रा बोलेरो आर.जे.32 जी.ए. 9032 में 04 गोवंश जिनके पैर व गर्दन रस्सियों से बंधी हुई व गायों के शरीर पर जगह–जगह चोट के निशान थे जिन्हे राजस्थान से हरियाणा ले जाया जा रहा था। जिसके पास गोवंश को परिवहन करने का कोई परमिट या रवन्ना नही था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है जो कि अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है साथ ही गौवंश को निर्दयता पूर्वक रस्सियों से पैर व गर्दन को बांधकर क्रूरता का द्योतक है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके कि उक्त वाहन में 04 गोंवश को किस सक्षम आदेश/लाइसेन्स या रवन्ना से परिवहन किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया जिससे आधार स्पष्ट हो

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

सके। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है जिसकी ट्रायल होनी है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त जब्त महेन्द्रा बोलेरो आर.जे.32 जी.ए. 9032 को सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नही पाते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत् वाहन महेन्द्रा बोलेरो पंजीकरण संख्या आर.जे.32 जी.ए. 9032 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी सेवर (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर